न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 184/2017

अनवान

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

3. रेणू पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 5/2/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 4 एनटीआर के खाता सं0 4/12 के मु0नं0 45 के किला न0 1, 9/2, 10, 12, 16 की कुल 2.201 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम दर्ज है।

चक 5 एनटीआर के खाता सं0 5/14 के मु0नं0 49 के किला नं0 2/2, 3/1 4/1, 5/1 की कुल 0.852 है0 नहरी मय रास्ता खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह को उपरोक्त कृषि अपने पिता मूलाराम से विरासतन प्राप्त हुई है, उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पत्ति है जिसमें मुझ वादी वेदप्रकाश व प्रतिवादीया सं0 3 रेणू का जन्म से हक व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम दर्ज होने के कारण मुझ वादी को ऋण आदि लेने, कृषि भूमि को समतल व उपजाऊ बनाने व अन्य मन माफिक उपयोग उपभोग करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मुझ वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को अपना अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उसने न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व

3 ने इकबा दावे पेश किये जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिये गये। प्रतिवादी सं0 2 पेरोक र राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी वेदप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वा रेस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति चक 4 एनटीआर खाता सं0 4/12 सम्वत् 2072/75 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति चक 5 एनटीआर खाता सं0 5/14 सम्वत् 2072/75 प्रदर्श 3, नकल फोटो प्रति चक 4 एनटीआर खाता सं0 61/53 62/54 सम्वत् 2064/67 प्रदर्श 4 व 5, नकल फोटो प्रति चक 5 एनटीआर खाता सं0 411/107 सम्वत् 2064/67 प्रदर्श 6, नकल फोटो प्रति चक 4 एनटीआर खाता सं0 21/21 सम्वत् 2072/75 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4 व 5 एनटीआर में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल फोटो प्रति चक 4 एनटीआर खाता सं0 61/53 सम्वत् 2064/67 प्रदर्श 4 व नकल फोटो प्रति चक 5 एनटीआर खाता सं0 411/107 सम्वत् 2064/67 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है जिनमें कृषि भूमि वादी के दादा मूलाराम वल्द ज्ञानाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद वादी दादालाई होना साबित है एवं प्रदर्शित वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में अमरसिंह पुत्र मूलाराम के वारिसान में मिरा पत्नी, एम पुत्र वेदप्रकाश व एक पुत्री रेणु होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 4 एनटीआर के खाता सं0 4/12 के मु0नं0 45 के किला नं0 1, 9/2, 10, 12, 16 की कुल 2.201 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 5 एनटीआर के खाता सं0 5/14 के मु0नं0 49 के किला नं0 2/2, 3/1, 4/1, 5/1 की कुल 0.852 है0 नहरी मय रास्ता खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम दर्ज है के तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के बजाय वादी वेदप्रकाश 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादिया सं0 3 रेणू 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायाल य उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 184/20 7

अनवान

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानग ढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानग ढ़।
2. राजस्था सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

3. रेणू पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानग ढ़।

– तरतीबी प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वा साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक ं0 4 एनटीआर के खाता सं0 4/12 के मु0नं0 45 के किला न0 1, 9/2, 10, 2, 16 की कुल 2.201 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 5 एनटीआर के खाता सं0 5/14 के मु0नं0 49 के किला नं0 2/2, 3/1, 4/1, 5/1 की कुल 0.852 है0 हरी मय रास्ता खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम दर्ज है के तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के बजाय वादी वेदप्रकाश 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादिया सं0 3 रेणू 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किय जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/2/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय क मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़